

समाहरणालय, गोड्डा।

(जिला भू-अर्जन शाखा)

E-Mail- goddadlao@gmail.com

प्रपत्र VII

अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

संख्या- 101/2016-17 (रेलवे)⁹⁴...../भूअ0 गोड्डा दिनांक :- 22/01/19.....

चूँकि उपायुक्त, गोड्डा को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना गोड्डा से पीरपैती नई बी.जी. रेलवे लाईन निर्माण हेतु मौजा- महादेवकित्ता सीट नं0-01, थाना नं0- 163, अंचल- पथरगामा, जिला- गोड्डा में कुल- 7.146 एकड़ यानि हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप से कमोवेश 7.146 एकड़ यानि हेक्टेयर है और जो मौजा- महादेवकित्ता सीट नं0-01, थाना नं0- 163, अंचल- पथरगामा, जिला-गोड्डा में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	हिस्से की भूमि का रकवा (एकड़)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
								उत्तर	दक्षिण	पूरव	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3	2	निजी	धानी II	6.609	0.8930	धनंजय सिंह, पिता- स्व0 काली प्र0 सिंह	1	3	2 अंश	2 अंश
2		4	निजी	धानी II	0.537	0.8930	शालीग्राम सिंह, पिता- स्व0 विक्रम सिंह	3	अरम्बा	4 अंश	जोगीडीह
3						0.4460	उपेन्द्र ना0 सिंह, पिता- स्व0 विन्देश्वरी प्र0 सिंह				
4						0.1120	गोपाल कृष्ण सिंह, पिता- स्व0 राधारमण सिंह				
5						0.1120	जवाहर लाल सिंह, पिता- स्व0 राधारमण सिंह				
6						0.1120	हीरा लाल सिंह, पिता- स्व0 राधारमण सिंह				
7						0.1120	श्रीकृष्ण सिंह जोरावर, पिता- स्व0 राधारमण सिंह				
8						0.4460	सुभाष चन्द्र सिंह, पिता- स्व0 श्रीपति सिंह				
9						0.2230	प्रदीप कुमार सिंह, पिता- स्व0 श्यामलाल सिंह				
10						0.2230	आशुतोष सिंह, पिता- स्व0 करुणा सिंधु सिंह				
11						0.5950	कौशल्या देवी, पिता- स्व0 मदन मोहन सिंह				
12						0.1990	बसंत ना0 सिंह, पिता- स्व0 मथुरा प्र0 सिंह				
13						0.1990	प्रताप ना0 सिंह, पिता- स्व0 मथुरा प्र0 सिंह				

14				0.1990	विभूति सिंह, पिता- स्व0 मथुरा प्र0 सिंह			
15				0.5950	किंगकम सिंह, पिता- स्व0 राजगीरी सिंह			
16				0.4470	श्रवण सिंह, पिता- स्व0 डोरन प्र0 सिंह			
17				0.1490	दीप ना0 सिंह, पिता- स्व0 जुठन प्र0 सिंह			
18				0.1490	देवेन्द्र ना0 सिंह, पिता- स्व0 जुठन प्र0 सिंह			
19				0.1490	मुकुन्द सिंह, पिता- स्व0 जुठन प्र0 सिंह			
20				0.2230	जयप्रकाश सिंह, पिता- स्व0 किशोरी प्र0 सिंह			
21				0.2230	वीर कुंवर सिंह, पिता- जयनारायण सिंह			
22				0.4470	संतोष सिंह, पिता- स्व0 लाल बिहारी सिंह			
कुल रकवा :-			7.146	7.146	एकड़			

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम-30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या शून्य है।


मौजा- महादेवकित्ता सीट नं0-01, थाना नं0- 163, अंचल- पथरगामा, जिला- गोड्डा में कुल- 7.146 एकड़ यानि हेक्टेयर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार* नीचे दिये गये है :-

क्रमांक	पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का हकदारी का लाभ	हकदारी/उपबंध
1	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन	प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को 50000.00 (पचास हजार) रू0 पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जायेगा।

उपरोक्त भूमि चिन्हित एवं मापित है, इस जमीन में इच्छुक/हितबद्ध सभी व्यक्ति, स्वयं अथवा प्रतिनिधि/अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 23.02.19 से 02.03.19 तक कार्यालय अवधि- 11:00 बजे पूर्वाह्न से 03:00 बजे अपराह्न तक श्री अनिल कुमार तिकी, अपर समाहर्ता, गोड्डा/श्री पवन कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के समक्ष उपस्थित होकर अपना आवेदन दो प्रति में दे सकते हैं एवं प्राप्ति प्राप्त कर लेंगे।

अपने दावे का प्रकार और क्षतिपूर्ति के लिए किसी दावे एवं पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित दावे या धारा- 12 के तहत जमीन के मेजरमेंट से संबंधित आपत्ति/दावा प्रस्तुत करेंगे। साथ ही बँटवारे के आधार पर प्राप्त भूमि के दावा के संबंध में सक्षम न्यायालय का आदेश की प्रति देंगे।



उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 94 / भू0अ0 दिनांक :- 22/01/19

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, गोड्डा को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिघोषणा का प्रकाशन यथाशीघ्र दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों (स्थानीय संस्करण) में करने का कष्ट करेंगे। साथ ही प्रकाशित अधिघोषणा का पेपर कटिंग जिला भू-अर्जन कार्यालय, गोड्डा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना-विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिघोषणा को गोड्डा जिले के वेबसाइट में यथाशीघ्र प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।


उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 94 / भू0अ0 दिनांक :- 22/01/19

प्रतिलिपि :- वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिघोषित दाग संख्या में अवस्थित वृक्षादि का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा/भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिघोषणा को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करने का कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिघोषित दाग संख्या में अवस्थित भौतिक संरचना का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, पथरगामा को निदेश है कि उक्त अधिघोषणा जारी किये जाने के पश्चात सहज दृश्य स्थलों पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- अधियाची पदाधिकारी, उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पूर्व रेलवे, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिघोषणा को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।


उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक : 94 / भू0अ0 दिनांक : 22/01/19

प्रतिलिपि - प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उपायुक्त,
गोड्डा।